स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकः– एफ.5( ) भौ.स/ऑडिट/ICDS/2018 194016-049 जयपुर, दिनांकः 2/11/2018

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त।

विषय :– भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया समस्त आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पूर्व पत्र क्रमांक–एफ5( )महा./समीक्षा/मबावि/2015/86307–339 दिनांक 02.06.17, 114957–5262 दिनांक 27.07.17, 173575–547 दिनांक 09.11.2017, 196175–207 दिनांक 18.12.2017, 8844–76 दिनांक 11.01.2018, 63872–904 दिनांक 19.04.2018 एव 153229–261 दिनांक 27.08.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न पत्रों, विभागीय समीक्षा बैठकों में एवं दूरभाष पर बकाया अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा हैं। इसके बावजूद भी आप द्वारा आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना भिजवाने हेतु कोई यथेष्ठ प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना के अभाव में बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं हो पा रहा हैं।

अतः आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों के बकाया समस्त अनुच्छेदों की आक्षेपानुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना पुष्टि के दस्तावेजों को संलग्न कराकर आपकी स्पष्ट टिप्पणी अंकित कर, दो प्रतियों में लेखाकर्मी/संबंधित कार्मिक के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, दिनांक 13.11.2018 को ऑडिट कमेटी की बैठक रखी गई है, जवाब के अभाव में आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। पूर्व में भेजी गई अनुपालना की छाया प्रतियां किसी भी स्थिति में नहीं भिजवायें, नये सिरे से आक्षेपानुसार अनुपालना तैयार करके ही भिजवाया जावें।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.5( ) भौ.स/ऑडिट/ICDS/2018 194050-354 जयपुर, दिनांकः 2/11/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी (समस्त) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की आक्षेपनुसार पूर्ण एवं ठोस अनुपालना पुष्टि के आवश्यक दस्तावेजों सहित भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्

वित्तीय सलाहकार